संख्या- 35/2020/395/35-3-2020-15(01)/2019

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर-खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर-खीरी हेतु सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-लखीमपुर-खीरी की सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु निम्नलिखित दो परियोजनाओं हेतु रू. 26.72 लाख (रू. छब्बीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उक्त धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश रू. 16.04 लाख की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0 सं0	विकासखंड का नाम	परियोजना का नाम	.एस.एल.एस.सी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि में (केन्द्रांश 60 प्रतिशत)
1	2	3	4	5
		कार्यदायी संस्था-यू0पी0 नेडा		
1	निघासन	आश्रम पद्धति विद्यालय बेलापरसुआ में 10 किलोवाट क्षमता की ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना।	13.36	8.02
2	पलिया	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा में 10 किलोवाट क्षमता की ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना।	13.36	8.02
		योग	26.72	16.04

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपर्युक्त तालिका में कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया गया है ।

1-अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। परियोजना/योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

2-स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत कार्यदायी संस्था को शीघ्र कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ अनुमोदित आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

4-कार्यों का निर्माण, आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत/आगणन में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है ।

5-निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6-कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा सुसंगत आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

7-जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिये कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी। पूर्ण किये गये कार्यों का नियोजन विभाग द्वारा नामित थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता टीम द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। उक्त निरीक्षणकर्ता टीम को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

8-कार्य-स्थल पर इसे बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

9- द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण करने के बाद वीडियोग्राफी एवं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल लिंक जिसे सम्बन्धित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के मोबाइल पर शेयर किया गया है, पर जियोटैगिंग कराई जायेगी।

10- उक्त परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से एवं आवश्यकतानुसार बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध धनराशि से कायर्दायी संस्थाओं के सहयोग से किया जायेगा। साथ ही परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सृजित परिसंपत्तियों को सम्बन्धित को हस्तांतरित किये जाने का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम् दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

12- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार, जारी की जा रही धनराशि 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- व्यय/अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

14- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

15- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

16- प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

17- केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि को माह दिसम्बर, 2020 तक व्यय करते हुये उसके सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि राज्यांश के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की जा सके।

18- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-9(ड़) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय। उक्त निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

19- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त,2017 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

20- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-101-सौरताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-सोलर लाईट/सोलर पम्प/सोलर पावर फेसिंग के लिये एकमुश्त व्यवस्था-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-1005(II)/दस-2020 दिनांक 04 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या-35/2020/395(1)/35-3-2020-15(01)/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज ।
5- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9- कोषाधिकारी, लखीमपुर-खीरी ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
11- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
12- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखीमपुर-खीरी ।
13- राज्य योजना आयोग अनुभाग-।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।